न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 30/2025
प्रकरण दर्ज तिथि 27.08.2025
जीसीएमएस नम्बर :— 2025/299

गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल, उम्र—65 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी देवली कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. तीजी बाई पत्नि श्री अमराराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी,
2. गेनाराम पुत्र श्री रूगाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी,
3. हीराराम पुत्र श्री रूगाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासीगण देवली कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
4. तहसीलदार बजरिये (लैण्ड होल्डर) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी उपस्थित
2 अप्रार्थी संख्या 01 से 03 श्री भूपैन्द्र सैन एवं अप्रार्थी संख्या 04 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय दिनांक :— 18.12.2025

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थनां पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी की ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076—2079 के नया खाता सं. 701 खसरा सं. 2071, 2072, 2073, 2083, 2085, 2087 खाता सं. 797 खसरा सं. 2084, 2086, खाता सं. 17 खसरा सं. 1218, 1252, 1809 मे पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है।

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा प्रार्थनाग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सवत् 2028 —2031 की प्रमाणित प्रति एवं चालु जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें । उपरोक्त खातेदारी जमीन मे प्रार्थी का हक व हिस्सा आता है, तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता रूगाराम जी के फौत होने पर भरा गया उनको फौतेदगी नामान्तरण मे भुलवश प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल के स्थान पर बोलता नाम गिदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज कर दिया है। जो गलत है अशुद्व है। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज मे भी गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल दर्ज है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे दर्ज गिदाराम पुत्र रूगाराम को न्यायहित मे सुधारा जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योकि प्रार्थी को घर मे छोटा पुत्र होने से उसे लाड प्यार से गिरधारी के स्थान पर गिदा कहकर बुलाते थे। जिस कारण प्रार्थी के पिता के फौतेदगी नामान्तरण मे नाम गलत दर्ज हो गया। जिस सुधारा जाना न्याय हित मे अत्यन्त आवश्यक होने से नाम संसोधन का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

रहा है। पटवारी हल्का द्वारा खातेदारों की फसल नुकसान के बदले राजस्थान सरकार के द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु आधार कार्ड चाहने पर प्रार्थी के द्वारा दिनांक 12–08–2025 को अपने हिस्से की भूमि पर फसल नुकसान के एवज मे अपना आधार कार्ड देने हेतु हल्का पटवारी के पास जाने पर उन्होने राजस्व रेकर्ड एवं आधार कार्ड मे नाम परिवर्तन होने से नाम जोडने से मना कर दिया तब प्रार्थी ने पटवारी हल्का महोदय को नाम संसोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होने पुरानी नकले मंगवाई एवं उनके द्वारा न्यायलय से आदेश लाकर देने का कहा जिस कारण न्यायलय कि शरण में जाकर वहा प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर एवं प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई साधन नहीं होने का बताने पर यह प्रार्थना श्रीमान के न्यायलय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, अतः प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल ससोधन अपने नाम करवाने का अधिकारी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी के पक्ष में यह अनुतोष जारी फरमावें कि प्रार्थी की ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नया खाता सं. 701 खसरा सं. 2071, 2072, 2073, 2083, 2085, 2087 खाता सं. 797 खसरा सं. 2084, 2086, खाता सं. 17 खसरा सं. 1218, 1252, 1809मे प्रार्थी के पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है। एवं विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता रूगाराम जी के फौत होने पर उनका फौतेदगी नामान्तरण भरा गया जिसमे भुलवश प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल के स्थान पर लाड का नाम, व बोलता नाम गिदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज कर दिया है। जो गलत है अशुद्व है। जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड मे एवं अन्य राजकीय दस्तावेज मे नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल संसोधन करने का आदेश प्रदान करावे। जिससे प्रार्थी को होने वाली हानि से बचाया जा सकें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जबाव में अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र श्री रूगाराम चोयल नाम सशोधन किया जाता है तो हमे कोई उजर एतराज नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार है एवं प्रार्थी की इस्तेदुआ स्वीकार की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कई उजर एतराज नही हैं। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/भूअ/25/2609 दिनांक 10.12.2025 के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें ग्राम देवली कलों के खसरा नम्बर 2071, 2072, 2073, 2083, 2085, 2087, 2084, 2086, 1218, 1252 एवं 1809 कुल खसरान् 11 कृषि भूमि मे गिदाराम पुत्र रूगाराम जाति सीरवी साकिन देह खातेदार राजस्व रेकर्ड दर्ज है।मौके पर उपस्थित पड़ौसी खातेदारान् एवं ग्रामवासियों से पूछताछ में अवगत कराया कि आराजी में गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम जाति सीरवी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त है। गिदाराम एवं गिरधारी लाल चोयल एक ही व्यक्ति है।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेंस अनुसार गिदाराम पुत्र रूगाराम का सही नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल होना पाया गया। पटवारी हल्का देवली कलॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गिदाराम पुत्र रूगाराम एवं गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल एक ही व्यक्ति है। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली संलग्न की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का सही नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम नाम संशोधन के आदेश फरमावें।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही नाम गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल नाम संशोधन के आदेश फरमावें तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, के खसरा नम्बर 2071, 2072, 2073, 2083, 2085, 2087, 2084, 2086, 1218, 1252 एवं 1809 में दर्ज नाम गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, के खसरा नम्बर 2071, 2072, 2073, 2083, 2085, 2087, 2084, 2086, 1218, 1252 एवं 1809 में दर्ज नाम गिदाराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर गिरधारी लाल चोयल पुत्र रूगाराम चोयल नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजा जावें।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)